न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 68 / 2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. कंचन उर्फ नेनी पत्नी धन्नाराम जाति माली निवासी मेला का चौक सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली।		सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री रमेश टांक अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 19/07/23

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा धीनावास तहसील सोजत के ख0नं0 1551 रकबा 1.1600 हैक्टेयर किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि स्थित हैं, जिसमें वादीया तथा नारायणलाल पुत्र भाणाराम जाति माली निवासी सोजत ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 27.05.1997 को बेचानकर्ता खातेदार दाखूबाई पत्नी मीठालाल व रूगाराम पुत्र बींजाजी जाति कुम्हार निवासी सोजत ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा उक्त भूमि पर वादीया अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त हैं। वादीया का घरेलू बोलचाल का नाम नेनी है तथा रेकर्ड दस्तावेजात में वादीया का नाम कंचन पत्नी धन्नाराम हैं। नेनी व कंचन एक ही व्यक्ति के दो नाम है। वादीया व नारायणलाल द्वारा उक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विक्रय विलेख निष्पादित करते समय सेवन से वादीया का घरेलू नाम नेनी धर्मपत्नी धन्नाराम विक्रय विलेख में अंकित करवा दिया, जिससे वादीया का राजस्व रेकर्ड में नेनी पत्नी धन्नाराम के नाम दर्ज कर दिया गया तथा उक्त नाम आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में अंकित चला आ रहा है। वादीया के सरकारी दस्तावेजों पहचान–पत्र एवं आधार कार्ड में वादीया का नाम कंचन पत्नी धन्नाराम होने से तथा वादीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1551 में दर्ज नाम नेनी पत्नी धन्नाराम होने से वादीया को विभिन्न सरकारी योजनाओं आदि का लाभ लेने से वंचित हो रही हैं। उक्त कृषि भूमि का आपसी बंटवाड़ा खातेदार नारायणलाल पुत्र भाणाराम व वादीया के मध्य हो चुका है, जिससे वादीया ग्राम धीनावास के खसरा संख्या 1551 रकबा 0.5800 हैक्टर भूमि की खातेदारी काश्तकार है, किन्तु सरकारी दस्तावेजात पहचान–पत्र एवं आधार कार्ड में वादीया का नाम कंचन पत्नी धन्नाराम दर्ज होने से वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में कंचन पत्नी धन्नाराम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है। तहसीलदार सोजत भूमि धारक होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार दर्ज किये गये हैं। बिनायदावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 1551 रकबा 0.5800 हैक्टर में वादीया का नाम सहवन से कंचन के बजाय घरेलू बोलचाल का नाम नेनी पत्नी धनाराम अंकित किये जाने से तथा वादीया को वर्तमान में विभिन्न सरकारी योजनाओं आदि का लाभ लेने से वंचित होने से दिनांक 10.10.2022 को बमुकाम सोजत उत्पन्न हुआ जो

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

0D

अन्दर मयाद पेश हैं। इस प्रकार अधिववता मय वादीया ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा धीनावास तहसील सोजत के ख0नं0 1551 रकबा 0.5800 किस्म मेहन्दी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार नेनी देवी पत्नी धन्नाराम के स्थान पर कंचन पत्नी धन्नाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा धीनावास में स्थित है। पैरा संख्या 02 में वर्णित तथ्यों के संबंध में निवेदन किया है कि पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया कंचन पत्नी धन्नाराम और नेनी पत्नी धन्नाराम एक ही होना तथा पैरा संख्या 03 से 04 में वर्णित तथ्यों को वादीया स्वयं सिद्ध करना तथा पैरा संख्या 05 में विवेचित तथ्यों के संबंध में निवेदन किया कि पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया पाया कि कंचन और नेनी एक ही है अतः सरहद मौजा धीनावास के ख0नं0 1551 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नेनी पत्नी धन्नाराम की जगह कंचन पत्नी धन्नाराम किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना तथा पैरा संख्या 06 से 10 के वर्णित तथ्यों को कानूनी बताया है।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा धीनावास तहसील सोजत के ख0नं0 1551 रकबा 0.5800 किस्म मेहन्दी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी नेनी देवी पत्नी धन्नाराम तथा कंचन पत्नी धन्नाराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नेनी देवी पत्नी धनाराम के स्थान पर कंचन पत्नी धनाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता मय वादीया ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 9450 3566 3079, मतदाता पहचान पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रमाणित प्रति नामान्तरण सं0 1097 स्वीकृत दिनांक 22.12.2009, फोटो प्रति बेचान रजिस्ट्री, फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत् 2074–77, फोटो प्रति वादीया के स्कूल का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र आदि पेश किये, सा.मि. है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय वादीया ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 9450 3566 3079, मतदाता पहचान पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रमाणित प्रति नामान्तरण सं0 1097 स्वीकृत दिनांक 22.12.2009, फोटो प्रति बेचान रजिस्ट्री, फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत् 2074–77, फोटो प्रति वादीया के स्कूल का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा फोटो फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 9450 3566 3079, मतदाता पहचान पत्र, वादीया के स्कूल का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र में वादीया का नाम कंचन पत्नी धन्नाराम अंकित हैं। तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी नेनी देवी पत्नी धन्नाराम तथा कंचन पत्नी धन्नाराम एक ही व्यक्ति होना बताया है। राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। लिहाजा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात से संपुष्टि हो जाने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर तथा उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि में दर्ज खातेदार नेनी देवी पत्नी धनाराम के स्थान पर कंचन पत्नी धनाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः अभिवक्ता गण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धीनावास तहसील सोजत के ख0नं0 1551 रकबा 0.5800 किस्म मेहन्दी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी नेनी देवी पत्नी धन्नाराम तथा कंचन पत्नी धन्नाराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नेनी देवी पत्नी धनाराम के स्थान पर कंचन पत्नी धनाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी के नाम से खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 19/07/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)